भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3749
2026/08/11 को उत्तर के लिए

पीएम-एमकेएसएसवाई की स्थिति

3749. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह- योजना (पीएम- एमकेएसएसवाई) के उद्देश्य, निधि आवंटन और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने सूक्ष्म और लघु मात्स्यिकी उद्यमों को क्षेत्र और राज्य वार कितनी सहायता प्रदान की गई है, और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लघु मात्स्यिकी इकाइयों के लिए उद्यमशीलता, ऋण पहुंच और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक की चार वर्ष अवधि के लिए ₹6,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस उप-योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने हेतु PM-MKSSY के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) की शुरुआत की गई।: -

i. असंगठित मात्स्यिकी क्षेत्र का क्रमिक औपचारिकरण, जिसमें बेहतर सेवा वितरण के लिए मछुआरों की कार्य-आधारित डिजिटल पहचान का निर्माण शामिल है।
ii. मत्स्य पालकों, मछुआरों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की पूंजी लागत को कम करने और उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, कार्यशील पूंजी सहित संस्थागत वित्त तक उनकी पहुंच को बढ़ाना।
iii. मात्स्यिकी सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण उनके संस्थागत क्षमता संवर्धन, बाजार तक पहुँच में सुधार, वित्तीय संसाधनों तक पहुँच को सुगम बनाने, व्यवसाय विकास योजनाएँ तैयार करने तथा आवश्यकता-आधारित सहायता उपलब्ध कराने के माध्यम से किया जा रहा है।
iv. एक्वाकल्चर (जलकृषि) बीमा खरीदने के लिए मत्स्य पालकों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

v. प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से मात्स्यिकी और जलकृषि के सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना, ताकि मूल्य-श्रृंखला की दक्षता में सुधार हो सके और रोजगार का सृजन व संरक्षण हो सके।

vi. प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से रोजगार सृजन और संरक्षण सहित, सुरक्षित मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

PM-MKSSY के तहत, यह उप-योजना निम्नलिखित के लिए समर्थन प्रदान करती है: (i) राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसके ऐप्स के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र के असंगठित हिस्से का औपचारिककरण (ii) संस्थागत ऋण तक पहुंच की सुविधा, (iii) किसानों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि' देकर एक्काकल्चर बीमा अपनाने में सहायता करना, जिसमें प्रीमियम का 40% (प्रति हेक्टेयर ₹25,000 तक, या 4 हेक्टेयर के लिए प्रति किसान ₹1 लाख तक) दिया जाता है; SC/ST और महिला लाभार्थियों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है (iv) मत्स्य मूल्य श्रृंखला की दक्षता में सुधार तथा उपभोक्ताओं तक सुरक्षित मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना हेतु सूक्ष्म उद्यमों को प्रदर्शन अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कुल निवेश का 25 प्रतिशत अथवा ₹35 लाख, जो भी कम हो, तथा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कुल निवेश का 35 प्रतिशत अथवा ₹45 लाख, जो भी कम हो, प्रदर्शन अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तरीय संगठनों और स्वयं सहायता समूहों SHG, FFPO और सहकारी समितियों के संघों के लिए प्रदर्शन अनुदान, कुल निवेश के 35% या 200 लाख रुपए, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। इसके साथ ही, PM-MKSSY का उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन और अनुरक्षण हेतु क्रमशः ₹10,000 और ₹15,000 प्रति वर्ष की राशि प्रदान करना है, जो कुल पात्र अनुदान की 50% की सीमा के अध्यधीन है।

6 अगस्त 2026 तक, NFDP पर लगभग 35.92 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों और अन्य हितधारकों ने पंजीकरण कराया है। 72.75 करोड़ रुपए के कुल लागत पर 3,829 प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त करने की स्वीकृति दी गई है। 2294 हेक्टेयर के लिए एक्काकल्चर बीमा पॉलिसी कवर की गई हैं, जिसके तहत 321.74 हेक्टेयर क्षेत्र वाले 127 लाभार्थियों ने 40.03 लाख रुपए का एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (OTI) प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट मॉड्यूल के अंतर्गत, बैंकों द्वारा 28.04 करोड़ रुपए की ऋण राशि के 535 ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 180 लाभार्थियों ने सक्सेस फ़ी का लाभ प्राप्त किया है। प्रदर्शन अनुदान के तहत, 20.55 करोड़ रुपए के पात्र प्रदर्शन अनुदान के साथ 84 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं; इनमें से 21 लाभार्थियों को 4.33 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पीएम-एमकेएसएसवाई (PM-MKSSY) के अंतर्गत समर्थित सूक्ष्म और लघु मत्स्य उद्यमों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में उपलब्ध है।

अनुबंध- I

पीएम-एमकेएसएसवाई की स्थिति के संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्री बिप्लब कुमार देब द्वारा पूछे गए 11 अगस्त, 2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के खंड (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

तालिका 1: पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र को संगठित बनाने हेतु छोटे और सूक्ष्म मत्स्य उद्यमों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ऋण सुविधा, सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना और जलकृषि बीमा शामिल हैं।

क्रम संख्या	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	समर्थित लघु और सूक्ष्म मात्स्यिकी उद्यमों की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	3,942
2	आंध्र प्रदेश	2,04,967
3	असम	1,09,494
4	बिहार	1,10,350
5	छत्तीसगढ	46,313
6	गोवा	2,234
7	गुजरात	1,02,813
8	हरियाणा	4,592
9	हिमाचल प्रदेश	11,288
10	जम्मू और कश्मीर	21,005
11	झारखंड	26,970
12	कर्नाटक	82,185
13	केरल	1,79,487
14	लद्दाख	82
15	लक्षद्वीप	2,895
16	मध्य प्रदेश	69,636
17	महाराष्ट्र	2,15,000
18	मणिपुर	9,673
19	मेघालय	8,794
20	मिजोरम	3,521
21	नागालैंड	5,304
22	ओडिशा	1,41,400
23	पंजाब	3,022
24	राजस्थान	3,264
25	सिक्किम	1,598
26	तमिलनाडु	1,93,612
27	तेलंगाना	2,35,665
28	त्रिपुरा	94,791
29	उत्तर प्रदेश	98,707
30	उत्तराखंड	7,833
31	अरुणाचल प्रदेश	3,579
32	दिल्ली	494
33	पुदुचेरी	552
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4,230
35	पश्चिम बंगाल	49
		20,09,341

तालिका 2: पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत मात्स्यिकी क्षेत्र के लघु और सूक्ष्म उद्यमों को प्रदर्शन अनुदान प्रोत्साहन के तहत प्रदान की गई सहायता

क्रम संख्या	**राज्यों के नाम**	**समर्थित लघु और सूक्ष्म मात्स्यिकी उद्यमों की संख्या**
1	असम	20
2	बिहार	6
3	छत्तीसगढ	1
4	गुजरात	1
5	कर्नाटक	7
6	मध्य प्रदेश	28
7	महाराष्ट्र	9
8	पंजाब	1
9	तमिलनाडु	4
10	उत्तर प्रदेश	4
11	उत्तराखंड	2
12	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	**84**